

e-mail- dir.edu@rediffmail.com or budgetbr@rediffmail.com

Phone: 0177-2653120 Ext. 223 Fax- 0177-2812882

बजट सम्बन्धित मामला

समयवद्ध

संख्या: ई0डी0एन0-एच(4) 3 (सी) बजट अनुमान-2014-15
निदेशालय (उच्चतर शिक्षा), हिमाचल प्रदेश ।

दिनांक: शिमला-171001 16 अक्टूबर, 2014

सेवा में

1. अति० शिक्षा निदेशक(प्रशासनिक)/आहरण एवं वितरण अधिकारी शिक्षा निदेशालय (उच्चतर शिक्षा) हिमाचल प्रदेश शिमला-171001.
2. कमाडैन्ड, एन० सी० सी० गुप हैड क्वार्टर्ज, हिमाचल प्रदेश, शिमला-171004.
3. प्राचार्य, शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, धर्मशाला, जिला कांगड़ा हि० प्र०।
4. प्राचार्य, एस० सी० ई० आर० टी०, सोलन, हिमाचल प्रदेश।
5. समस्त प्राचार्य राजकीय महाविद्यालय/संस्कृत महाविद्यालय, हिमाचल प्रदेश।
6. समस्त उप शिक्षा निदेशक, (उच्चतर शिक्षा), हिमाचल प्रदेश।
7. मुख्य पुस्तकाध्यक्ष, केन्द्रीय पुस्तकालय, सोलन, हिमाचल प्रदेश।
8. पुस्तकाध्यक्ष, राज्य पुस्तकालय, रिज शिमला, हिमाचल प्रदेश।
9. प्रधानाचार्य, सैनिक स्कूल, सुजानपुर-टिहरा, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश।
10. समस्त, कमाडैन्ड, एन० सी० सी० वटालीयन/ कम्पनी हिमाचल प्रदेश।

विषय: वित्त वर्ष 2015-16 के लिए बजट अनुमानों तथा चालू वित्त वर्ष 2014-15 के लिए संशोधित बजट अनुमानों को समय पर वित्त विभाग को भेजने बारे।

ज्ञापन:

उपरोक्त विषय हिमाचल प्रदेश वित्तीय नियम 2009 अध्याय-3 निरूपण और कार्यान्वयन के अन्तर्गत सभी आहरण एवं संवितरण अधिकारियों को सूचित किया जाता है, कि वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए बजट अनुमान तैयार करने का कार्य वित्त विभाग द्वारा माह अक्टूबर, 2014 से शुरू किया जाना है। यह बजट अनुमान हिमाचल प्रदेश वित्तीय नियम, 2009 के नियम 28 (3), 30 और 31 (4) के अनुरूप तैयार किए जाने हैं जिसके लिए सरकार द्वारा प्रपत्र तैयार किए गए हैं जो कि इस पत्र के साथ संलग्न हैं।

2. नौमिनल रोल में पदों की संख्या के साथ-साथ पदों का नाम तथा किस मुख्य शीर्ष में यह पद शामिल हैं, का मूल वेतन व अन्य भत्तों को अलग-अलग दर्शाया जाए तथा पदों का उद्धरण खाली पदों सहित सही व आपेक्षित व्यय के साथ दर्शाया जाए और यदि कोई वकाया राशि का भुगतान देय हो तो उसका अलग से विवरण दिया जाए। पदों /वेतन/ भत्तों इत्यादि से सम्बन्धित विवरण वास्वविकता के आधार पर उपलब्ध करवाया जाए। नौमिनल रोल वेतन मद में वास्तविक प्रावधान करने के लिए आवश्यक है। अतः सभी आहरण एवं संवितरण अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि आपने संस्थान/कार्यालय से सम्बन्धित स्थाई/अस्थायी स्वीकृत पदों का विवरण सतयापित करके उपलब्ध करवाएँ। पदों से सम्बन्धित सूचना के लिए उत्तरदायित्व आहरण एवं संवितरण अधिकारियों का होगा तथा भविष्य में पदों से सम्बन्धित सूचना/ विवरण के लिए उपलब्ध करवाई गई सूचना ही प्रमाणित दस्तावेज होगा। (समस्त प्रधानाचार्य/मुख्याध्यापक राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशालाएं एवं उच्च पाठशालाएं से अनुरोध है कि अपने विद्यालय की सूचना सम्बन्धित जिला के उप शिक्षा निदेशक कार्यालय में प्रस्तुत करें।)

3. चालू वर्ष के बजट अनुमान तथा संशोधित अनुमान में अगर भिन्नता हो तो भिन्नता के वास्तविक कारणों का स्पष्ट सक्षिप्त उल्लेख किया जाए अन्यथा भिन्नता मान्य नहीं होगी। ऐसी ही प्रक्रिया चालू वर्ष के संशोधित अनुमानों व आगामी वर्ष के अनुमानों में आई भिन्नता हेतु अपनाई जाए।

4. बजट अनुमान/संशोधित अनुमान भेजते समय कृपया चालू वित्तीय वर्ष के दौरान व वर्ष 2015-2016 के दौरान सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों/ अधिकारियों का विवरण भी निम्न प्रपत्र पर इस विभाग को भेजना सुनिश्चित किया जाए ताकि आवश्यकता से अधिक बजट प्रावधान की प्रवृत्ति पर नियन्त्रण रखा जा सके।

प्रपत्र
वित्त वर्ष 2014-15 और 2015-16 के दौरान सेवा निवृत्त होने वाले कर्मचारियों/
अधिकारियों का विवरण।

शिक्षण संस्थान का नाम/ कार्यालय का नाम:


वित्त वर्ष	श्रेणी 1,2,3,4	नम व पदनाम	मूल वेतन	वेतन वृद्धि की तिथि	सेवानिवृत्ति की तिथि

5. बजट अनुमान व संशोधित अनुमान के प्रस्ताव अनुदान मांग संख्या वार (08-सामान्य शिक्षा, 15-पिछड़ा क्षेत्र उप योजना, 31- जनजातीय विकास एवं 32-अनुसूचित जाति उप योजना के अर्न्तगत अलग-अलग से इस विभाग को भेजें ताकि इन अनुदान मांगों के अर्न्तगत बजट अनुमान तैयार करते समय कोई असुविधा न हो। इसके अतिरिक्त पेंशनरो के चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों के बजट अनुमान व संशोधित बजट अनुमान (अनुदान मांग संख्या 19-सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता) अलग से उपलब्ध करवायें।

6. योजना बजट के अर्न्तगत प्रावधित नई स्कीमों से सम्बन्धित बजट पूर्ण औपचारिकताओं को पूरा करते हुए 25 अक्टूबर, 2014 तक इस निदेशालय को भेजने का प्रावधान करें। यदि इस विभाग में उक्त निर्धारित समय सारणी के अनुसार बजट प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए तो इस विभाग के पास आय अनुमानों और बजट अनुमानों (योजना तथा गैर-योजना) को अपने स्तर पर अन्तिम रूप देने के सिवाये और कोई विकल्प नहीं होगा।


7. उपरोक्त स्थिति को ध्यान में रखते हुए समस्त प्रधानाचार्य/मुख्याध्यापक राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशालाएं एवं उच्च पाठशालाओं को लिखा जाता है कि वह अपने शिक्षण संस्थान के बजट अनुमान सम्बन्धित जिला के उप शिक्षा निदेशक (उच्चतर) के कार्यालय को प्रस्तुत करें तथा समस्त उप शिक्षा निदेशक, उच्चतर शिक्षा, हिमाचल प्रदेश से अनुरोध है कि वह अपने कार्यालय एवं अपने जिला से सम्बन्धित सभी वरिष्ठ माध्यमिक पाठशालाओं एवं उच्च पाठशालाओं के बजट अनुमान को समेकित रूप से इस निदेशालय को 30 अक्टूबर, 2014 से पहले भिजवाना सुनिश्चित करें। तथा अन्य सभी सवितरण अधिकारी सीधे तौर पर निदेशालय को अपने बजट अनुमान 30 अक्टूबर, 2014 तक भिजवाना सुनिश्चित करें। ताकि समय पर बजट अनुमान सरकार को प्रेषित किये जा सकें। इन दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन करें। यदि किसी भी आहरण एवं सवितरण अधिकारी ने बजट अनुमान समय पर नहीं भेजे तो उनको वित्तीय वर्ष 2015-16 के अर्न्तगत बजट का आबटन को स्थगित करना पड़ेगा जिसकी जिम्मेदारी सम्बन्धित आहरण एवं सवितरण अधिकारी की होगी।

8. कृपया इस विषय को अति आवश्यक समझें।


(शाशि भूषण शrivastava)
निदेशक (उच्चतर शिक्षा)
हिमाचल प्रदेश

पृष्ठांकन संख्या: सम दिनांक: शिमला-171001 16 अक्टूबर, 2014
प्रतिलिपि:-

1. शाखा प्रभारी, योजना शाखा, छात्रवृत्ति शाखा, सामान्य शाखा, रोकड़ शाखा, भवन शाखा एवं शारीरिक शाखा आन्तरिक को समरूप आवश्यक एवं आगामी कारवाई हेतु अग्रेषित है ।
2. शाखा प्रभारी, पैन्शन शाखा को इस अनुरोध के साथ अग्रेषित है कि वह वित्तीय वर्ष 2014-15 और 2015-16 के दौरान सेवा निवृत्त होने वाले समस्त विभागीय कर्मचारियों/ अधिकारियों का विवरण का ब्यौरा निर्धारित प्रपत्र पर तैयार करके इस शाखा को उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करें।
3. प्रभारी, भण्डार शाखा आन्तरिक को इस अनुरोध के साथ अग्रेषित है कि वह अनुदान मांग संख्या 24 (मुद्रण एवं लेखन सामग्री) से सम्बन्धित बजट अनुमान नियन्त्रक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, विभाग हि0 प्र0, शिमला-171005 के कार्यालय को तुरन्त अवगत करवाये तथा प्रतिलिपि इस शाखा को भी अग्रेषित करें।


(शशि भूषण शेखरी)
निदेशक (उच्चतर शिक्षा)
हिमाचल प्रदेश

